न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

अपील सं0 : 06 सन 2024

अनवान :–

1. मंगलाराम पुत्र तारूराम जाति मेघवाल उम्र 91 वर्ष निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

अपीलान्ट

बनाम

1. सुमन पत्नी जवाहरलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश रोही मौजा चक 14 बारानी के नामान्तकरण संख्या 1149 दिनांक 03.06.2024 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत चक 22 एनटीआर तहसील नोहर को निरस्त करने बाबत

उपस्थित : श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक :– 11/02/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 166 / 160 की कुल 6.072 हैक्ट भूमि पन्नाराम पुत्र मघाराम को आवंटित हुई। पन्नाराम पुत्र मघराम के वारिसान आदराम मोटाराम व जैसाराम उक्त भूमि में से 2 / 3 हिस्सा को अपीलांट को विक्रय कर दिया था जैसाराम फौत होने के बाद बैयनामा अपीलांट के पक्ष में नही हो पाया तथा जैसाराम का एक मात्र वारिस किरसन नाबालिग होने के कारण बैयनामा नही हो पाया बैयनामा की लिखा पढ़ी होने के बाद यह गांव से लापता हो गया इस कारण बैयनामा नही हो सका आज तक उसे किसी ने देखा नही और उसका कोई जायज वारिस नही होने के कारण बैयनामा अपीलांट के पक्ष में नही हो पाया उसका एकमात्र जायज वारिस शंकरलाल पुत्र मोटाराम था तथा रामेश्वर कुंवारा फौत हो गया इस कारण बेयनामा नही हो पाया तथा अपीलांट की सारी आंवटन राशी जमा करायी है तथा विक्रेतागण ने सारी कीमत दी है।

रेस्पो0 स0 1 जो की किरसन के वारिस ही नही है बिरबल मेघवाल की बहिन है ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कुटरचित दस्तावेज सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाया व एकमात्र वारिस रेस्पो0 स0 1 को दिखाया जाकर वाद भूमि का अपीलकृत आदेश नामान्तरण संख्या 1149 दिनांक 03.06.2024 रेस्पो स0 2 ने हल्का पटवारी से मिलिभगत करके बिना जांच ही दि दर्ज करवा लिया जो की खारीज योग्य है। किरसन जब फौत ही नही हुआ और वह लापता है बिना मृत्यु के ही फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार करवाये जिसकी सूचना अपीलांट ने पुलिस थाना मार्फत न्यायालय के दी गयी है ऐसे कुटरचित दस्तावेजो को असल के रूप में प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। हल्का पटवारी के पास तहसीलदार से दिनांक 01.05.2024 को सुमन देवी के प्रार्थना पत्र पर दिया तो अपीलांट ने निवेदन ... 58 वर्षो से भूमि काश्त करते चला आ रहा है व अपीलांट का परिवार काश्त ... बनी हुई है व एकल भूमि काश्त है जिसकी जांच नही की ... पक्ष में रिपोर्ट करना विधि विरूद्ध है। पटवार हल्का ने बिरबल जिसकी रेस्पो0 स0 1 बहिन है ... से मिलकर फर्जी ... है तथा मौके पर जांच नही की इसी आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। रेस्पो0 स0 1 मंगतुराम सरदारपुरा बास नोहर की पुत्री है न की रामेश्वर की फर्जी दस्तावेज तैयार करके भूमि हड़पने की साजिश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:23:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

फर्जी मृत्यु प्रमाण बनाया है जबकि मृत्यु हुई ही नही है। अपीलकृत आदेश दिनांक 03.06.2024 का है जिसका ज्ञान अपीलांट को कभी नही रहा ज्ञान होते ही अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन के साथ यह अपील पेश की जा रही है जो की स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 1149 दिनांक 03.06.2024 रोही मौजा 14 बारानी को निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया रेस्पोडन्स संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रिकार्ड /नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति पत्रावली में उपलब्ध होने के कारण अन्य रिकार्ड तलब नही किया गया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 166/160 की कुल 6.072 हैक्ट भूमि पन्नाराम पुत्र मघाराम को आवंटित हुई। पन्नाराम पुत्र मघराम के वारिसान आदराम मोटाराम व जैसाराम उक्त भूमि में से 2/3 हिस्सा को अपीलांट को विक्रय कर दिया था जैसाराम फौत होने के बाद बैयनामा अपीलांट के पक्ष में नही हो पाया तथा जैसाराम का एक मात्र वारिस किरसन नाबालिग होने के कारण बैयनामा नही हो पाया बैयनामा की लिखा पढ़ी होने के बाद यह गांव से लापता हो गया इस कारण बैयनामा नही हो सका आज तक उसे किसी ने देखा नही और उसका कोई जायज वारिस नही होने के कारण बैयनामा अपीलांट के पक्ष में नही हो पाया उसका एकमात्र जायज वारिस शंकरलाल पुत्र मोटाराम था तथा रामेश्वर कुंवारा फौत हो गया इस कारण बेयनामा नही हो पाया तथा अपीलांट की सारी आंवटन राशी जमा करायी है तथा विक्रेतागण ने सारी कीमत दी है। रेस्पो0 स0 1 जो की किरसन के वारिस ही नही है बिरबल मेघवाल की बहिन है ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कुटरचित दस्तावेज सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाया व एकमात्र वारिस रेस्पो0 स0 1 को दिखाया जाकर वाद भूमि का अपीलकृत आदेश नामान्तरण संख्या 1149 दिनांक 03.06.2024 रेस्पो स0 2 ने हल्का पटवारी से मिलिभगत करके बिना जांच ही दि दर्ज करवा लिया जो की खारीज योग्य है। किरसन जब फौत ही नही हुआ और वह लापता है बिना मृत्यु के ही फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार करवाये जिसकी सूचना अपीलांट ने पुलिस थाना मार्फत न्यायालय के दी गयी है ऐसे कुटरचित दस्तावेजो को असल के रूप में प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। हल्का पटवारी के पास तहसीलदार से दिनांक 01.05.2024 को सुमन देवी के प्रार्थना पत्र पर दिया तो अपीलांट जो निर्वधन रूप से 58 वर्षो से भूमि काश्त करते चला आ रहा है व अपीलांट का परिवार काश्त करता चला आ रहा है बड़ी बड़ी सीवं बनी हुई है व एकल भूमि काश्त है जिसकी जांच नही की जाकर सुमन देवी के पक्ष में रिपोर्ट करना विधि विरूद्ध है। पटवार हल्का ने बिरबल जिसकी रेस्पो0 स0 1 बहिन है उसे से मिलकर फर्जी जांच की है तथा मौके पर जांच नही की इसी आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। रेस्पो0 स0 1 मंगतुराम सरदारपुरा बास नोहर की पुत्री है न की रामेश्वर की फर्जी दस्तावेज तैयार करके भूमि हड़पने की साजिश की है। फर्जी मृत्यु प्रमाण बनाया है जबकि मृत्यु हुई ही नही है। अपीलकृत आदेश दिनांक 03.06.2024 का है जिसका ज्ञान अपीलांट को कभी नही रहा ज्ञान होते ही अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन के साथ यह अपील पेश की जा रही है जो की स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 2798 दिनांक 10.01.2021 रोही मौजा बिरकाली बारानी को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के अधिवक्ता ने अ[illegible] मे निवेदन किया गया की उक्त नामान्तरण रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में दस[illegible] किया गया है तथा माननीय सिविल न्यायालय नोहर जिला ह[illegible] स0 196/2022 अनवानी सुमन बनाम हर आम व खास आदि में रेस्पो0 स0 1 के पक्ष में नि[illegible] पारित किया गया है एवं गांव में मजमे आम राजस्व कार्मिकों द्वारा जांच कर रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:23:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि अपीलांट के कभी भी कब्जा काश्त में नही रही है तथा न ही कोई बैचान किया गया है अपीलाधीन भूमि पर रेस्पो0 स0 1 काबिज है अतः अपील अपीलांट खारीज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार माननीय सिविल न्यायाधीश नोहर प्रकरण संख्या 196/2022 अनवी सुमन बनाम हर आम व खास आदि निर्णय दिनांक 05.04.2024 के अनुसार किशनलाल पुत्र जैसाराम की सिविल मृत्यु घोषत की गई है। माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के खंडन में अधिवक्ता अपीलाट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है अर्थात माननीय न्यायलय का आदेश आदिनांक वैद्य है। माननीय न्यायालय द्वारा किशनलाल की सिविल मृत्यु होने के पश्चात उक्त नामान्तण रेस्पो0 स0 1 के पक्ष में दर्ज हुआ है जो की विधिसंगत है।

उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:23:09 IST
Reason: SelfAttested